पत्रांकः- 4416 /13- खलाड दिनांक 8/3 /2021

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल ।

विषय :- जनपद-नैनीताल में राज्य योजना के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र नेनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अर्न्तगत पांगकटारा से खलाड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.71 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 कोप्रत्यावर्तन।प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/46607/2020)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8वी0/यू0पी0सी0/06/15/2021/एफ0सी0/2317 दिनांक 18.02.2021. एंव अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 2199 /FP/UK/ROAD/46607/2020 देहरादून, दिनांक 22-02-2021 इस कार्यालय का पत्रांक 4166/13-खलाड दिनॉक 22-2-2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिर्वतन मत्रालय देहरादून के सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना है ।अपर प्रमंख वन सरक्षक एंव नोडल अधिकारी देहरादून से प्राप्त निर्देशों के कम में इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी एन0पी0वी0 की धनराशि में आंशिक संशोधन कर प्रेषित की जा रही है

1- शर्त न0 3(क) के अनुपालन में वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.42 है0 सिविल एंव सोयम ग्राम छीमी0मटेला खसरा संख्या 1324 ,1372,1375 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा । क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम छीमीमटेला सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण एंव हस्तानान्तरण के सुप्रमाण प्रेषित किया जाना है ।

शर्त न0 3(ख) के अनुपालन में कम से कम 50% ओक प्रजाति के पौधो का रोपण किया जायेगा ।

शर्त न0 3(ग) के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एव रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। वन विभाग के स्वामित्व से बाहर ऐसे क्षेत्र जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

शर्त न0 3(घ) के अनुपालन में मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया।

2- शर्त न0 4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रू0 1.71X 2= 3.42 है0 X 3,37,184.00 = 11,53,169.00 (रू0 ग्यारह लाख तिरेपन हजार: एक सौ उडहत्तर) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। जो प्रमुख यन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 972/3-5-2 दिनॉक 21-11-2017 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया है।

3- शर्त न0 5(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया 1.71 है0 X 8,45,000 = 14,44,950.00(रू0 चौदह लाख चौवालीस हजार नौ सौ पच्चास)मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है ।

शर्त न0 5(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

Scanned by CamScanner

4–शर्त न0 7 के अनुपालन मेंराज्य सरकार प्रसतावित डम्पिंग क्षेत्र की प्रत्येक Site का क्षेत्रफल एंव land status विवरण तथा प्रत्येक में संभावित Muck की क्षमता का आंकलन इस कार्यालय में प्रेषित करेगी ।

5–शर्त न0 10 के अनुपालन में एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

6–शर्त न0 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आई0आरसी0 मानदण्डो के अनुसार सडक के दोनो किनारो पर पौधो की संख्या वढाएगा ।

7–शर्त न0 12 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जाएंगे।

8–शर्त न0 13 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

9–शर्त न0 17 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

10–शर्त न0 21 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

11–शर्त न0 21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

12–शर्त न0 22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षय में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एंव पुनजीवित करने का कार्य किया जायेगा । मलेवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी । निस्तारण स्थलो को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसका स्थिलीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तो का अनुपालन आख्यों उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

पत्रांक /उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल ।

Scanned by CamScanner